

V. The Central Warehousing Corporation (Second Amendment) Rules 1990.

खाद्य और नागरिक पुति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरस्वर हुसैन) : महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखना हूँ:-

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(i) 1989-90 के वर्ष के लिए हिन्दुस्तान वेजीटेबल ब्रुआयर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का छटा वार्षिक प्रतिवेदन और लेख, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्तियों सहित।

(ii) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये। देखिये सं० एल०टी० 1647/91]

II. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(i) 1989-90 के वर्ष के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेख, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ii) ब्यूरो के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई (i) और (ii) के लिये देखिये सं० एल०टी० 1948/91]

III. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन) (संशोधन) विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सांका.नि. सं० 724 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 1990।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त, और अन्य मदों पर भर्ती) दूसरा संशोधन विनियमन, 1990 को प्रकाशित

करने वाली सांका.नि. सं० 725(अ) दिनांक 22 अगस्त, 1990।

(3) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोग-शाला तकनीकी पदों पर भर्ती) संशोधन विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सांका.नि. सं० 726(अ), दिनांक 22 अगस्त, 1990।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 1990 को प्रकाशित करने वाली सांका.नि. सं० 808(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 1990।

(5) चित्रा जे. सिरुर अध्येक्ष, भारतीय उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति, बम्बई का भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति का सदस्य नियुक्त किये जाने के लिये भारतीय मानक ब्यूरो की अधिसूचना सं० कां.आ. 376 (अ), दिनांक 26 मई, 1989 को संशोधित करने वाली अधिसूचना सांका.नि. सं० 850(अ), दिनांक 7 नवम्बर, 1990। [पुस्तकालय में रखी गई (1) से (5) के लिये देखिये सं० एल०टी० 1645/91]

IV. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन खाद्य और नागरिक पुति मंत्रालय (नागरिक पुति विभाग), की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(1) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. सं० 2511 दिनांक 17 अगस्त, 1976 को निरस्त करने वाली का.आ. सं० 616 (अ) दिनांक 7 अगस्त, 1990।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का.आ. सं० 1837, दिनांक 14 जून, 1986 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली का.आ. सं० 617(अ), दिनांक 7 अगस्त, 1990।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के का.आ. सं० 2878 दिनांक 22 अगस्त, 1968 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली का.आ. 618(अ), दिनांक 7 अगस्त, 1990।

(4) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के कां.सं. 84, दिनांक 5 जनवरी, 1967 के आदेश से कतिपय संशोधन करने वाली कां.सं. 619(अ) दिनांक 7 अगस्त, 1990।

(5) भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के कां.सं. 2135 दिनांक 15 जुलाई, 1966 के आदेश में कतिपय संशोधन करने वाली कां.सं. 620 (अ) दिनांक 7 अगस्त, 1990।

(6) सीमेंट के खदरा वितरण के लिये आवश्यक लाइसेंस को समाप्त करने के बारे में पूर्व उद्योग और नागरिक प्रति मंत्रालय (नागरिक प्रति और पहाड़िता विभाग) द्वारा जारी कां.सं. 681 (अ) दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के आदेश में संशोधन करने वाली कां.सं. 624(अ) दिनांक 7 अगस्त, 1990।

(7) दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1990 को प्रकाशित करने वाली कां.सं. 711 (अ) दिनांक 13 सितम्बर, 1990। [पुस्तकालय में रखी गई (1) से (7) के लिस्टे देखिये सं. एल.टी. 1691/44]

V. केन्द्रीय भंडारण नियम अधिनियम, 1962 को धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय भंडारण नियम (दूसरा संशोधन) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली खाद्य और नागरिक प्रति मंत्रालय (खाद्य विभाग), अधिसूचना सां.कां. सं. नि. 836(अ) दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी)। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं. एल.टी. 1646/91]

I. Report and Account! (1989-90) of the National Federation of State Co-operative Banks limited, Bombay and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the Indian Institute of Tourism and Travel fianagement, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHAND-BHAI SHAH): Madam, on behalf of Shri Devi Lal, lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers: —

(i) (a) Twenty-seventh Annual Report of the National Federation of State Cooperative Banks Limited, Bombay, for the year 1989-90.

(b) Annual Accounts of the National Federation of State Cooperative Banks Limited, Bombay, for the year 1989-90 and the Auditors' Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the Federation [Placed in Library See No. LT-1650/91 for (a) to (c)]

(ii) (a) Eighth Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Tourism and Travel Management, New Delhi, or the year 1989-90, together with the Auditors' Report on the Accounts. ?

(b) Review by Government on the working of the Institute. [Placed in Library. See No. LT-1573/90 for (a) and (b)]

I. Report and Accounts (1988-89) of the
. Rajasthan State Dairy
Development
, Corporation limited Jaipur and
relat
ed papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of
the
National Dairy Development
Board,
Anand and related papers.